(6)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कवंर
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 53/2022

श्रवण कुमार बनाम अनिल आदि

प्रार्थना पत्र : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व विभाजन
भूमि लगान व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट प्रार्थी –श्री शिवकुमार बंका
ऐडवोकेट अप्रार्थी ––––––––––

आदेश

दिनांक 30.05.2022

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अं. आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. का इस कदर प्रस्तुत किया कि उनवानी प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2022 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। प्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थी को आश्वत किया गया है कि अभी कोरोना चल रहा है जब आपकी आवश्यकता होगी आपको सूचना कर बुला लिया जावेगा। प्रार्थी भी कॉविड के कारण न्यायालय में नही आ सका। प्रार्थी अनपढ़ ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। न्यायलय की प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। प्रार्थी ने अपने को वकील पर पूरा विश्वास था कि वकील साहब सूचित करने पर न्यायालय में हाजिर हो जायेगे। प्रार्थी को वकील द्वारा कोई सूचना नही दी गई।

जनवरी 2022 में भी कोरोना महामारी का प्रकोप रहा इसिलए प्रार्थी न्यायालय में नही आ सका अब प्रार्थी ने दिनांक 13.04.2022 अप्रेल में अपने वकील साहब से सर्म्पक किया उन्होने प्रार्थी को कोई संतोषप्रद जवाब नही देने पर प्रार्थी ने अपना दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर दावे से संबंधित नकल निकलवाने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी का दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 06.01.2022 को खारिज हो गया है।

प्रार्थी अपने दावे की पैरवी करना चाहता है प्रार्थी का दावा दिनांक 06.01.2022 को खारिज कर दिया उसे पुनः नम्बर पर लेकर विधिवत रूप से कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना पत्र दावे को रिस्टोर करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का दावा दिनांक 06.01.2022 को खारिज कर दिया गया यदि यह आदेश बरकरार रहने से प्रार्थी को अधिकारो की सक्श्त हकतलफी होगी प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा किसी भी सुरत में संभव नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का दावा रिस्टोर करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी का दावा दिनांक 06.01.2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। जनवरी 2022 में भी कोरोना महामारी का प्रकोप रहा इसिलए प्रार्थी न्यायालय में नही आ सका। प्रार्थी अपने दावे की पैरवी करना चाहता है प्रार्थी का दावा दिनांक 06.01.2022 को खारिज हो चुका उसे पुनः नम्बर पर लेकर विधिवत रूप से कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना पत्र दावे को रिस्टोर करवाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा रिस्टोर करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का दावा दिनांक 06.01.2022 को अदम हाजरी व पैरवी में खारिज हो चुका जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। 2022 में भी कोरोना महामारी का प्रकोप रहा इसलिए प्रार्थी न्यायालय में नही आ सका। प्रार्थी अपने दावे की पैरवी करना चाहता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी को बिना सुने उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया जाना उचित नही है तथा उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:36 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

(7)

उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा का दिनांक 06.01.2022 को पारित आदेश अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दावे को खारिज किया गया, को अपास्त किया जाता है तथा मूल दावे को पुनः नम्बर पर लिया जाकर रिस्टोर करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र बाद फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ हमफिता किया जावे। निर्णय आज दिनांक 30.05.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:36 IST
Reason: SelfAttested